<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 3790

19 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों की स्थापना

3790. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती):
श्री आर॰पी॰ मरुदराजाः
श्री अरविंद सावंतः
श्री वाई एस॰ अविनाश रेड्डीः
श्री बदरुद्दीन अज़मलः
श्री सुनील कुमार सिंहः
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डीः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कडप्पा में एक समेकित इस्पात संयंत्र एवं विज़ाग में कोल्ड-रोल्ड क्वायल्ड इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु रास्ता तैयार कर दिया है, जैसा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में आश्वासन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त संयंत्रों का संचालन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार अगले तीन वर्षों के दौरान देश में अल्ट्रा मेगा स्टील प्लांट (यूएमएसपी) सहित और अधिक इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने का विचार रखती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकारी एवं निजी क्षेत्र, दोनों में वर्तमान में कार्यकारी यूएमएसपी सहित सभी इस्पात संयंत्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित संयंत्रों का समयबद्ध तरीके से संचालन शुरू किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क) और (ख): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014, की तेरहवीं अनुसूची की शर्तों के मुताबिक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा तेलंगाना के खम्मम जिले के बय्याराम और आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कडप्पा जिले में एकीकृत इस्पात संयंत्रों को स्थापित करने की व्यवहार्यता संबंधी जांच की जानी थी। सेल द्वारा दिनांक 02.12.2014 को प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार इस्पात संयंत्र की स्थापना प्रथम दृष्ट्या वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है। बाद में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस्पात संयत्रों की स्थापना करने हेतु एक रोडमैप तैयार करने के लिए दिनांक 19.10.2016 को

एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसमें केंद्रीय एवं संबंधित राज्य सरकारों, सेल, आरआईएनएल, एनएमडीसी लिमिटेड, मेकॉन लिमिटेड और एमएसटीसी लिमिटेड के प्रतिनिधि शामिल हैं। दिनांक 27.12.2017 को टास्क फोर्स की पिछली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि संबंधित राज्य सरकार रिपोर्ट तैयार करने के लिए मेकॉन के साथ आंकड़े साझा करेगी और वास्तविक पूर्वानुमान तैयार करेगी, जिसके आधार पर मेकॉन व्यवहार्यता रिपोर्ट को पूरा करेगा।

(ग): वर्तमान में सरकार द्वारा और अधिक इस्पात संयंत्र लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ): संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में प्रचालनगत इस्पात संयंत्रों की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न है।

(ङ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के नाते सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है जो इस्पात क्षेत्र की दक्षता और कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए संस्थागत तंत्र/अवसंरचना स्थापित करती है और दिशा-निर्देश तैयार करती है।

*****

अनुलग्नक

(लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3790 दिनांक 19.03.2018)

संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में प्रचालनगत इस्पात संयंत्रों की राज्य-वार संख्या

('000 टन में)

क्रूड इस्पात: राज्य-वार विवरण, 2016-17			
सार्वजनिक क्षेत्र			
राज्य	**इकाई**	**क्षमता**	**उत्पादन**
छत्तीसगढ़	भिलाई इस्पात संयंत्र	4360	3154
पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	1802	2042
ओडिशा	राउरकेला इस्पात संयंत्र	4400	2932
झारखंड	बोकारो इस्पात संयंत्र	3925	4737
पश्चिम बंगाल	इस्को इस्पात संयंत्र	2500	1394
पश्चिम बंगाल	अलॉय इस्पात संयंत्र	234	88
तमिलनाडु	सेलम इस्पात संयंत्र	180	108
कर्नाटक	विश्वैश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट	118	39
कुल: सेल		**17519**	**14494**
आन्ध्र प्रदेश	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	6300	3962
क) कुल सार्वजनिक क्षेत्र		**23819**	**18456**
निजी क्षेत्र			**('000 टन में)**
राज्य	**इकाइयों की संख्या**	**क्षमता**	**उत्पादन**
अरुणाचल प्रदेश	1	74	56
असम	12	293	217
बिहार	42	1138	675
झारखंड	134	14789	13172
मेघालय	12	313	158
ओडिशा	84	19262	14809
त्रिपुरा	1	30	23
पश्चिम बंगाल	83	6098	4165
पूर्वी क्षेत्र कुल	**369**	**41997**	**33274**
छत्तीसगढ़	78	10257	6802
दादरा व नगर हवेली	22	292	258
दमन और दीव	4	54	22
गोवा	20	738	482
गुजरात	58	11809	6351
मध्य प्रदेश	14	252	177
महाराष्ट्र	73	10141	8748

पश्चिमी क्षेत्र कुल	**269**	**33543**	**22840**
चंडीगढ़	2	77	31
दिल्ली	2	14	10
हरियाणा	15	926	793
हिमाचल प्रदेश	20	682	498
जम्मू और कश्मीर	8	184	129
पंजाब	115	2662	2043
राजस्थान	46	1078	791
उत्तर प्रदेश	55	1347	901
उत्तराखंड	23	477	371
उत्तरी क्षेत्र कुल	**286**	**7447**	**5567**
आन्ध्र प्रदेश	31	1907	1323
कर्नाटक	27	13597	12365
केरल	36	616	345
पुडुचेरी	17	488	252
तमिलनाडु	109	3448	2555
तेलंगाना	38	1415	958
दक्षिणी क्षेत्र कुल	**258**	**21471**	**17799**
ख) कुल: निजी क्षेत्र	**1182**	**104458**	**79480**
सकल योग (क+ख)	**1191**	**128277**	**97936**

******

<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 3855

19 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात निर्यात

3855. श्री बी॰ विनोद कुमारः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की आगामी वर्षों में भारत को इस्पात का निवल निर्यातक बनाने की परिकल्पना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार की किस प्रकार इस्पात के आयात में कटौती और निर्यात में वृद्धि करने की योजना है; और

(ग) क्या सरकार का लौह अयस्क के मूल्यों और कोयले की आपूर्ति में उतार-चढ़ाव जिससे देश में इस्पात उत्पादन की लागत में अत्यधिक वृद्धि होती है, की समस्या से निपटने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस प्रकार किया जाएगा?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): भारत में इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। सरकार, देश में इस्पात उत्पादों के स्वतंत्र और उचित व्यापार में हस्तक्षेप नहीं करती है। भारत, वर्ष 2016-17 से इस्पात का शुद्ध निर्यातक है। विगत तीन वर्षों के दौरान पूर्ण फिनिश्ड इस्पात का आयात और निर्यात संबंधी विवरण निम्नवत् हैं:

(आंकड़े एमटी में)

वर्ष	आयात	निर्यात
2015-16	11.71	4.08
2016-17	7.23	8.24
2017-18 (अप्रैल-जनवरी)*	6.45	8.22

स्रोत: जेपीसी* अनंतिम

(ग): सरकार देश में लौह अयस्क या अन्य कच्ची सामग्रियों के मूल्य निर्धारण को नियंत्रित या विनियमित नहीं करती है। खनिज पदार्थ के आवंटन और इसके खनन की पारदर्शी नीति विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, इस्पात विनिर्माता अपने वित्तीय सोच-विचारों के आधार पर किसी भी कच्ची सामग्री का आयात करने के लिए स्वतंत्र है।

******

<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 3907

19 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात सामग्री हेतु रेल प्रभार

3907. श्री सी॰ एस॰ पुट्टा राजूः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अपनी उन घरेलू नीतियों पर विचार किया है जिस कारण घरेलू इस्पात उत्पादकों को नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं तो, इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश के इस्पात क्षेत्र को रेलवे की भाड़ा नीति और स्वच्छ ऊर्जा अधिभार किस हद तक प्रभावित कर रही है;

(घ) क्या रेल मंत्रालय के साथ इस संबंध में कोई चर्चा की गयी है ताकि इस्पात सामग्री हेतु प्रशुल्क में संशोधन कर उसे कोयले पर लगने वाले प्रशुल्क के समतुल्य लाया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): सरकारी नीतियाँ इस्पात उद्योग के विकास और उन्नति के लिए सहयोगी रही हैं। सरकार ने इस्पात उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 और देशीय निर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पाद नीति लागू की है तथा लाईफ साईकल कॉस्ट एनालिसिस को शामिल करने हेतु जीएफआर, 2017 में संशोधन किए हैं।

(ग): रेलवे भाड़ा नीति इस्पात उद्योग को इस्पात और उसके कच्चे माल की परिवहन लागत के मामले में प्रभावित करती है। जहाँ तक स्वच्छ ऊर्जा सेस का संबंध है, इसे हटाया गया है।

(घ) और (ङ): रेल मंत्रालय को लौह अयस्क के भाड़ा वर्गीकरण संबंधी मामले से अवगत करवाया गया है और इस तरह के मामलों पर ध्यान देने के लिए एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

******